I/36935/2022

संख्या– XL-1/2021-62/2004 T.C.-I

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2022

विषयः– राज्य में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के बी0एम0एम0एस0 इन्टर्नीज को इन्टर्नशिप स्टाईपेन्ड में वृद्धि किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून के पत्र संख्या–174, दिनांक 23.04.2022 एवं पत्र संख्या–185, दिनांक 26.04.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक निर्णयोपरान्त शासनादेश संख्या–67/XXXX/2011-62/2004 T.C. दिनांक 24.01.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य में संचालित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बी0ए0एम0एस0 के इन्टर्नीज को तत्काल प्रभाव से प्रदत्त इन्टर्नशिप स्टाइपेन्ड की धनराशि रू0 7,500/– प्रतिमाह को **रू0 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** प्रतिमाह अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक– 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्धितियां, 101–आयुर्वेद, 11–आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता, 00–आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद संख्या–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3– शासनादेश संख्या–67/XXXX/2011-62/2004 T.C. दिनांक 24.01.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त के अन्य प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत बने रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के ई–पत्र संख्या–I/35764/2022, दिनांक 17 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

संख्यांकन–1039 XL-1/2021-62/2004 T.C.-I एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. कुलपति/कुलसचिव उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून।
3. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर/गुरूकुल परिसर हरिद्वार/मुख्य परिसर हर्रावाला, देहरादून।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

Signed by Rajendra Singh
Date: 23-05-2022 10:51:09

Generated from eOffice by RISHI RAM SEMWAL, SO-RS-AYUSH SECTION, SECTION OFFICER, Ayush and Ayush Education Department on 23/05/2022 11:0